्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 37/2022
CMS NO. : 2022/70

-:: वादी :-	बनाम	-:: प्रतिवादीगण :-
1. योगेश चौहान पुत्र कानाराम जाति सरगरा निवासी जैतारण, तहसील- जैतारण जिला- पाली राज०।		1. सोहनलाल पुत्र लालराम जाति मेघवाल निवासी बस्सी तहसील जैतारण। 2. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.04.03.2022

उपस्थितः- 1. श्री अरूणसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 22/09/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आ. कालू चक द्वितीय पटवार हल्का आ. कालू चक द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 777/7 रकबा 0.2185 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उक्त आराजी से वादी का 4/5 वां हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/5 वां हिस्सा है उपरोक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी की दर्ज है नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हो रखा है। परन्तु मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि अलग अलग बंटी हुई है उसी अनुसार मौके पर पक्षकारान् काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड सामलाती दर्ज है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पति जिसका पक्षकारान् अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर बंटवाडा कर लिया है जिसमे वादी के हक हिस्से को लाल स्याही से नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी दर्शाया गया है और इसी अनुसार वादी मौके पर भी काबिज होकर काश्त कर रहा है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे उक्त भूमि सामलाती दर्ज होने से तथा उसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा नही होने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पडता है जिसमे वादी अपने हक हिस्से की भूमि के चार दीवार बनाने, उसे उपजाउ बनाने, खाद बीज डालने, बैंक से ऋण लेने भूमि का भू रूपान्तरण करवाने आदि में अनेको प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादी के पास उक्त आराजी में अपने हक हिस्से का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादी की और से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। वादी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

रोक्त वर्णित आराजी मे अपने 4/5 हिस्से का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाने बाबत प्रतिवादीगण को दिनांक 12/11/2021 को आग्रह किया स पर प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया एवं उल्टा वादी को यह ऐलानिया मकी दी कि वह सम्पूर्ण भूमि के मुख्य भाग पर कब्जा कर वादी को बेदखल रेगा एवं अजनबी व्यक्ति को बेचान कर मौके पर कब्जा करेगा यदि प्रतिवादीगण पने इन गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाते है। और वादग्रस्त सम्पति को कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये बिना ही फन्ट की जमीन र कब्जा करते है तो वादी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है तथा वादी अपने जायज हक व अधिकारो से हमेशा के लिये महरुम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 2 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है जो बंटवाडे के वादपत्र आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। कि बिनाय वाद दिनांक 12/11/2021 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को सयुक्त सामलाती भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाने का आग्रह करने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार होने एवं फन्ट की भूमि पर कब्जा कर वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम आ. कालू द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे पैदा हुंआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिंकारं एवं क्षैत्राधिकार मे होने से यह वादपत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पेश किए, शामिल मिसल किए गए। दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा आ. कालू द्वितीय पटवार हल्का आ. कालू द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ. कालू सम्वत् 2074-2077 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 777/7 रकबा 0.2185 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में वादी के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा आ. कालू द्वितीय पटवार हल्का आ. कालू द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ. कालू में स्थित खसरा नम्बर 777/7 रकबा 0.2185 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर गढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को धिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/875 दिनांक 23.08.2022 द्वारा ादेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/5892 नांक 19/09/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंट्वाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक ंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किये जाने ी ईश्तदुआ कीं हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा आ. कालू द्वितीय पटवार हल्का आ. कालू द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ. कालू तहसील जैतारण, में स्थित खसरा नम्बर 777/7 रकबा 0.2185 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	सोहनलाल पुत्र लालाराम कौम मेघवाल सा. बस्सी खातेदार।	777/14	0.0437	बा. अ.	1.03
2.	योगेश चौहान पुत्र कानाराम कौम सरगरा सा. जैतारण	777/7	0.1748	बा. अ.	4.14

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 22/09/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर एवं पदेन
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण, जिला-पाली

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

ईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–:: वादी :–

1. योगेश चौहान पुत्र कानाराम जाति सरगरा निवासी जैतारण, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. सोहनलाल पुत्र लालराम जाति मेघवाल निवासी बस्सी तहसील जैतारण।
2. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 37/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री अरूणसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा आ. कालू पटवार हल्का आ. कालू द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ. कालू तहसील जैतारण, में स्थित खसरा नम्बर 777/7 रकबा 0.2185 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	सोहनलाल पुत्र लालाराम कौम मेघवाल सा. बस्सी खातेदार।	777/14	0.0437	बा. अ.	1.03
2.	योगेश चौहान पुत्र कानाराम कौम सरगरा सा. जैतारण	777/7	0.1748	बा. अ.	4.14

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22/09/2022 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)

...ई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
...म्प अर्जी दावा	03 – 00	स्टाम्प वकालतनामा	
...म्प वकालतनामा	01 – 00	स्टाम्प अर्जी	
...म्प वजह सबूत		महनताना वकील	/
...नताना वकील	/	खर्चा गवाहान	
...र्चा गवाहान	02 – 00	फीस कमीश्नर	
...स कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
...बत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	06 – 00	मिजानः–	—Nil—

...टः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए ...लाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।